(6)

RTI - Matter

F. No: II-18015/06/2014-NM.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)
*****

North Block, New Delhi
Dated the 13th January, 2014

To,

Shri G. Panigrahi.
Sharda Energy and Minerals Limited,
J.M.G. House, Panchsheel Nagar,
Civil Lines, Raipur- 492001,Chhattisgarh.

Sub: Information sought under the RTI Act, 2005 vide your application dated 23.12.2013.

Please refer to your application dated 23.12.2013 received in this Division on 07.01.2014 vide NDM-I Section, MHA O.M. No 40-14/2013/NDM-I(Part) dated 06.01.2014 regarding the information sought under the RTI Act, 2005.

2. Available information on point nos. (1), (2) & (3) of the above said application is furnished as under:-

2.1 Based on violence profile and various parameters, presently 16 district of Chhattisgarh viz. Bastar, Bijapur, Dantewada, Jashpur, Kanker, Korea (Baikunthpur), Narayanpur, Rajnandgaon, Sarguja, Dhamtari, Mahasamund, Gariyaband Balod, Sukma, Kondagaon and Balrampur are considered as Naxal affected Districts. The whole Narayanpur district of Chhattisgarh is considered Naxal affected District w.e.f. 29.5.2008.

2.2 An analysis of LWE violence profile of previous years disclose that Narayanpur district of Chhattisgarh is one of the severely Left Wing Extremism (LWE) affected districts, which collectively account for more than 70% of the total LWE violence in the Country.

3. Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi – 110 001.

o/c

(Rambir Singh)
Director (NM) & CPIO

Copy to:

1. Shri Gautam Ghosh, DS (NDM-I) & CPIO, MHA, NDCC Building, Jai Singh Road w.r.t letter No.40-14/2013/NDM-I(Part) dated 06.01.2014.

Pls. Issued
R&I

जारी
ISSUED
15 .I.2014
गृह मंत्रालय (NB)
आर० तथा प्रे०/R&I

(1)

सूचना का अधिकार/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-|(भाग)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन प्रभाग-|

***

'बी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-|| भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 06 जनवरी, 2014

01/DM(NM-II)/14
7/1/14.

सेवा में,

श्री जी पाणीग्रही
सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
जे.एम.जी. हाउस, पंचशील नगर, सिविल लाइंस
रायपुर-492 001 (छत्तीसगढ़)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलबध कराने के संबंध में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 02.01.14 के पत्र संख्या ए-43020/01/2014-आरटीई का अवलोकन करें | उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए संबंधी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है | संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है |

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है| इसका संबंध नक्सल प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से है | अत: आवेदन पत्र को संबंधित प्रभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के तहत हस्तांतरित किया जा रहा है | आप उनसे सूचना सीधे प्राप्त कर सकते हैं |

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी श्री आर. के श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'बी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-|| भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं |

13/NM-III
7/1/2013

भवदीय,

गौतम घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.
फोन नं. 2343 8123

7/1

U.S(NM III)

प्रतिलिपि संलग्नों सहित निम्नलिखित को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित :

निदेशक (नक्सल प्रभाग-I), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली | उक्त आवेदक के आवेदन पत्र को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(ii) के अंतर्गत हस्तांतरित किया जा रहा है| आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दें |

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री वी. के. राजन, उप सचिव (ई) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में प्रेषित |

R-218316/DS(DM)/14 (3)

आर टी आई मामला/समयबद्ध

स. ए-43020/01/2014-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
****

नई दिल्ली, दिनांक : 2/01/ 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री जो पानी ग्राही का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री जो पानी ग्राही के दिनांक 23/12/2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में ....से अंतरण द्वारा दिनांक 26/12/2013 को प्राप्त) को एन.एम प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 30/12/2013 की रसीद सं. 27816 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

वी.के. राजन
(वी.के. राजन)
उप सचिव (स्था.) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में

निदेशक (डी.एम-I)
गृह मन्त्रालय, एन डी सी सी भवन
जयसिंह रोड, नई दिल्ली

Transfer to Dir (NM-I)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री जो पानी ग्राही
साइरा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड
जे एम जी हाउस, पंचशील नगर
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)

AD(DM) 3/1

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

7843/RTI/2013
31/12/13

(4)

<u>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र</u>

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
26 DEC 2013
1611

दिनांक : 23.12.2013

प्रति,
केन्द्रीय जन सूचना प्राधिकारी,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
केन्द्रीय सचिवालय,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001.

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र ।

महोदय,
अधिनियम के तहत आवेदक कंपनी को निम्नानुसार जानकारी / सत्यापित दस्तावेज प्रदान किये जावें ।

1. देश में नक्सल हिंसा से ग्रस्त घोषित प्रदेशों में से एक छत्तीसगढ़ प्रदेश / राज्य में नक्सली समस्या के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों से केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रुप से संवेदनशील जिले कौन कौन से हैं । इन जिलो के नामों की जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।

2. कंडिका 1 के संबंध में प्रादान की जा रही जानकारियों में यदि जिला - नारायणपुर भी शामिल हो तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस जिले नारायणपुर की कौन कौन सी तहसीलें नक्सल समस्या से प्रभावित मानी जाकर अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं आंशिक रुप से चिन्हित एवं घोषित किया गया है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।

3. कंडिका 2 के में वर्णित जिला - नारायणपुर वनमंडल के अन्तर्गत ग्राम -करचामेटा, मदमनार-तारामेटा, बारगांव एवं पण्डरीपानी क्षेत्र को कंडिका 1 एवं 2 में अपेक्षित जानकारियों की किस श्रेणी केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित एवं घोषित किया गया है इसकी भी जानकारी आवेदक को प्रदान की जावें ।

आवेदक कंपनी को उपरोक्त चाही गई जानकारी निम्नलिखित पते पर प्रदान करने का कष्ट करें ।

सधन्यवाद !

Dir (NM-2)

आवेदक
G. Panigrahi
for, सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड,
जे.एम.जी हाउस, पंचशील नगर,
सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
पिन - 492001.

संलग्न : आवेदन शुल्क रु. 10/- भारतीय पोस्टल आर्डर (19F 434275 dt 24/12/13)

(B)

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

27816

सं. /No. ....

दिनांक 20
Dated 30/12/ 2013

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. ....

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No. .... के दिनांक 20 Dated..................20.........

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 19F 435427 ....

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्याक्षर /Initials

रूपये / *Rs.* 10/-

पदनाम / Designation